UPVR010055432026

बाल न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।
उपस्थितः– नितिन पाण्डेय (एच0जे0एस0)
(जे0ओ0कोड–यू0पी0 1585)
आपराधिक अपील संख्या–93/2026

किशोर अपचारी X {जिसका विवरण मु0अ0सं0–225/2025, थाना रामनगर, जनपद वाराणसी के आरोप पत्र में 'आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण' के अंतर्गत क्रम सं0–01 पर अंकित है तथा जिसके आरोप–पत्र को किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित किया गया है} जरिये संरक्षिका माता।

.....अपीलार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण।

मु०अ०सं०–225/2025,
अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 190, 103(1), बी.एन.एस.,
थाना रामनगर, जिला वाराणसी।

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक अपील, किशोर अपचारी {जिसका विवरण मु0अ0सं0–225/2025, थाना रामनगर, जनपद वाराणसी के आरोप पत्र में 'आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण' के अंतर्गत क्रम सं0–01 पर अंकित है तथा जिसके आरोप–पत्र को किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित किया गया है} की ओर से किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16–05–2026 के विरूद्ध जरिये संरक्षिका माता योजित की गयी है। आलोच्य आदेश द्वारा मु०अ०सं०–225/2025 अंतर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2), 190, 103(1) बी.एन.एस., थाना रामनगर, वाराणसी के प्रकरण में किशोर अपचारी का जमानत प्रा0 पत्र किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा निरस्त किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शिल्पा मित्तल बनाम एन0सी0टी0 दिल्ली**, (2020)2 एस0सी0सी0 787 तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **किशोर एक्स जरिये पिता बनाम उ0प्र0 राज्य व एक अन्य** (क्रि0रिवीजन सं0–1693/2021, निर्णीत दिनांकित 22.02.2022) की विधि व्यवस्थाओं में पारित दिशा–निर्देशों के अधीन वर्तमान अपील में किशोर अपचारी का नाम अथवा उसकी पहचान को उजागर करने वाले तथ्य का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

3. प्रस्तुत किशोर अपील में अभियोजन कथानक को अंकित करते हुए सारतः कथन किया गया है कि किशोर अपचारी की ओर से प्रथम क्रिमिनल अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, इसके पहले कोई भी अपील माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त है, यह भी कथन किया गया कि किशोर अपचारी को महज जेरवार, परेशान व बेइज्जत करने की गरज से रंजिशन उक्त मुकदमें में मुल्जिम बना दिया गया है, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 04–05–2026 को विधि विवादित किशोर घोषित किया जा चुका है, किशोर अपचारी बिल्कुल निर्दोष है, उसे उक्त कथित घटना की कोई जानकारी नहीं है, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 16–05–2026 को किशोर अपचारी की जमामत सरसरी तौर पर निरस्त कर दी गयी, किशोर अपचारी दिनांक 08–10–2025 को विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी के समक्ष आत्मसमर्पण कर,

Digitally signed by NITIN PANDEY
Date: 2026.06.19 14:20:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्प्रेक्षण गृह रामनगर, वाराणसी में निरूद्ध है, किशोर अपचारी के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अपराध नहीं बनता है, क्योंकि किशोर अपचारी द्वारा ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया गया है और न ही ऐसे किसी अपराध में शामिल है, कथित घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है, किशोर अपचारी का इससे पूर्व का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, अभियोजन द्वारा जैसी घटना कही गयी है, वैसी कोई घटना हुई ही नहीं, बल्कि लोहा हटाने को लेकर कहा–सुनी सिर्फ हुई थी, वादी मुकदमा द्वारा इलाका पुलिस से मिली भगत कर, पुरानी रंजिश को लेकर तथा कानूनी राय व मशविरा से महज बेइज्जत कर, जेल भेजने के उद्देश्य से मुल्जिम बना दिया गया है, किशोर अपचारी को बिना किसी युक्तियुक्त साक्ष्य के उक्त मुकदमें में नामित कर दिया गया है, उक्त मुकदमें में सह–अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत की जा चुकी है, उक्त मुकदमें के मृतक की मृत्यु कुएं पर रखे लोहे पर स्लिप होकर गिरने से सिर व सीने पर आयी चोटों से हुई है, न कि किशोर अपचारी के मारने से हुई है, किशोर अपचारी जमानत पर छूटने के पश्चात् अपनी माता–पिता के संरक्षण में रहेगा तथा अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, किशोर अपचारी किसी ज्ञात अपराधी गिरोह में शामिल नहीं होगा और न तो उसे शारीरिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक खतरा उत्पन्न होगा, न नैतिक पतन होगा, न ही न्याय का उद्देश्य विफल होगा, उक्त मुकदमें में आरोप–पत्र विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी में प्रेषित किया जा चुका है, किशोर अपचारी घटना वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद था ही नहीं, बल्कि घर का जरूरी सामान लेने के लिए बाजार गया था, वापस आने पर उक्त घटना की जानकारी हुई, किशोर अपचारी वाराणसी शहर का स्थायी निवासी है, जिसके बाद जमानत पलायित होने की कोई सम्भावना नहीं है, उपरोक्त परिस्थिति में अपीलार्थी/किशोर अपचारी की अपील स्वीकार करते हुए, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा पारित आदेश, दिनांकित 16–05–2026 निरस्त कर, किशोर अपचारी को संरक्षिका/माता की सुपुर्दगी में रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. आपराधिक अपील में राज्य एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी को विपक्षीगण के रूप में अंकित किया गया है, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हुए एवं विपक्षी श्रीमती लक्ष्मी देवी की ओर से उनके व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आलोच्य आदेश, धारा 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधि0 2015 के प्रावधान के प्रतिकूल पारित किया गया है तथा आलोच्य आदेश पूर्णतया अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। याचना की गयी कि किशोर अपचारी की जमानत को स्वीकार कर माता के संरक्षण में दिया जाना उचित व विधिसम्मत् है।

6. उपरोक्त तर्क के विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विपक्षी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता द्वारा फौजदारी अपील का विरोध करते हुए आलोच्य आदेश को पूर्णता विधिसम्मत् बताया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विपक्षी/वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि गवाहों के बयानों से किशोर के विरूद्ध आरोपित धाराएं पूर्णतया प्रमाणित होती हैं, आलोच्य आदेश पूर्णतया विधिसम्मत् है, जमानत पर छोड़े जाने से किशोर अपचारी के अपराधियों के साहचर्य में आने की प्रबल सम्भावना है, याचना की गयी कि यह फौजदारी अपील निरस्त की जाये।

7. सुना गया एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. सर्वप्रथम अभियोजन कथानक का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 04–09–2025 को समय करीब रात 9 बजे वादिनी मुकदमा के घर के पास स्थित कुएं पर वादिनी मुकदमा का कुछ लोहा रखा हुआ था, वादिनी मुकदमा के पड़ोसी मनबढ़ व गुण्डे किस्म के लोग जबरदस्ती बोले कि यह लोहा यहाँ से हटा लो, नहीं तो मारकर फेंक देंगे, वादिनी मुकदमा का बेटा चन्दन चौहान बोला, कुछ देर में हटा लेंगे, इतने में वे लोग माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देने लगे, वादिनी का बेटा मना किया, तो प्रश्नगत किशोर अपचारी का पिता, प्रश्नगत किशोर अपचारी व दो अन्य किशोर अपचारी एवं रोहन चौहान, ये सभी एक राय होकर, वादिनी के बेटे को बैट व लाठी–डण्डे से मारे,

जिससे बहुत चोटे आयीं, वादिनी व उसकी बहू को भी मारे, 112 नं० पर कॉल कर पुलिस सहायता लिये, अतः उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी।

9. वादी मुकदमा की उक्त सूचना के आधार पर थाना रामनगर, वाराणसी में मु0 अ 0 सं0 225/2025, अंतर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) बी0 एन 0 एस 0, अपचारी के पिता, प्रश्नगत अपचारी व दो अन्य किशोर अपचारी एवं रोहन चौहान के विरूद्ध अंकित किया गया, विवेचना आरम्भ की गयी, वादिनी मुकदमा व अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये गये, साक्षीगण के बयान के आधार पर मामले में धारा 109(1), 190 बी.एन.एस. की अभिवृद्धि की गयी, दौरान इलाज वादिनी मुकदमा के पुत्र चन्दन चौहान की मृत्यु दिनांक 09–09–2025 को ट्रामा सेन्टर, बी.एच.यू. में हो जाने के कारण मामले में धारा 109(1) बी.एन.एस. के स्थान पर धारा 103(1) बी.एन.एस. तरमीम की गयी, समस्त विवेचना के उपरांत प्रश्नगत किशोर अपचारी X के विरूद्ध धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 190, 103(1) बी.एन.एस. में आरोप–पत्र किशोर न्यायालय में प्रेषित किया गया, किशोर अपचारी के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र पर किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 18–11–2025 को प्रसंज्ञान लिया गया।

10. उल्लेखनीय है कि सम्बंधित पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार प्रकरण में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर अपचारी को आदेश, दिनांकित 04–05–2026 द्वारा विधि विवादित किशोर घोषित किया गया तथा उसकी आयु घटना की तिथि पर, 16 वर्ष, 11 माह, 21 दिन होनी पायी गयी।

11. आलोच्य आदेश द्वारा किशोर अपचारी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रा0 पत्र को किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा निरस्त किया गया है। आलोच्य आदेश में जिला प्रोबेशन अधिकारी की सामाजिक जाँच आख्या को अंकित करते हुए किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा आख्या के दृष्टिगत इस मत के आधार पर जमानत प्रा0 पत्र को निरस्त किया गया है कि बालक के सुधार के दृष्टिगत उसे कड़े नियंत्रण एवं अनुशासन में रखने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में वह किसी अन्य गलत गतिविधि में संलिप्त न हो सके।

12. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 12 विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की जमानत संबंधी प्रावधान को विनिश्चित करता है। उक्त प्रावधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ा जायेगा, या उसे परिवीक्षा अधिकारी अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जायेगा, स्वयं उक्त धारा की उपधारा 1 के परन्तुक प्रावधान में उन स्थितियों को वर्णित किया गया है, जिनमें अपचारी के प्रा0 पत्र को निरस्त किया जा सकता है। जमानत प्रा0 पत्र का निरस्तीकरण मात्र उन तीन स्थितियों में विधिपूर्ण है–

(1) जब यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा, या

(2) उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा, या

(3) उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा।

13. आलोच्य आदेश में जमानत प्रा0 पत्र का निरस्तीकरण का आधार किशोर अपचारी के भविष्य में अन्य किसी गलत गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका होना अंकित किया गया है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **संजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य,** 2003 सी0 आर 0 आई 0 एल 0 जे0 2284 में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त महत्वपूर्ण है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्णीत किया गया है कि जमानत प्रा0 पत्र के निरस्तीकरण का आधार न्यायालय के अनुमान मात्र पर आधारित नहीं होना चाहिए, वरन् इस निष्कर्ष को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से समर्थित होना चाहिए, समान आशय का विधिक सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **किशोर एक्स जरिये पिता बनाम उ0प्र0 राज्य व एक अन्य** (क्रि0 रिवीजन सं0–1693/2021, निर्णीत दिनांकित 22.02.2022) की विधि व्यवस्था में पारित किया गया है, **किशोर एक्स जरिये पिता बनाम उ0प्र0 राज्य व एक अन्य**, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था में ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था का अनुमोदनपूर्वक उल्लेख किया है, जिसके अनुसार

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के जमानत प्रा0 पत्र को उक्त प्रथम आधार पर निरस्त किये जाने में अभियोजन को 'ज्ञात अपराधी' की पहचान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, अग्रेतर यह विधिक सिद्धांत उल्लिखित है कि न्यायालय को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार होना चाहिए कि यदि अपचारी को जमानत पर छोड़ा जाता है, तो ऐसा करना अपचारी को इस 'ज्ञात अपराधी' के संसर्ग में लायेगा, अपराधी की पहचान स्थापित किये बिना यह सामान्य कथन नहीं किया जा सकता कि जमानत पर छोड़े जाने पर अपचारी, अपराधी के संसर्ग में आ जायेगा, अपचारी व अपराधी के सम्पर्क/संबंध के विषय में न्यायालय को प्रथम दृष्टया निष्कर्ष प्राप्त करना आवश्यक है।

14. उक्त विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में तथा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान व नियम के अंतर्गत अपचारी के विषय में सामाजिक अन्वेषण आख्या, तथ्यात्मक निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विधि सह–परिवीक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार "वर्तमान में बालक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, रामनगर, वाराणसी में निरूद्ध है, बालक कक्षा 2 तक ही पढ़ा है, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण छोड़ दिया तथा अपने पिता के साथ प्लम्बर का काम सीखने जाता था, बालक का पूर्व का कोई गलत तथ्य एवं गलत संगत संलग्न नहीं आया, बालक के पिता/अभिभावक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सामान्य है, बालक के साथ–साथ भाई भी उक्त प्रकरण में निरूद्ध रह चुके थे, उक्त प्रकरण के दृष्टिगत बालक को कड़े नियंत्रण एवं अनुशासन में रखने की आवश्यकता है।" **नोटः–** (फौजदारी अपील की पत्रावली में सम्भवतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामले से सम्बन्धित किसी अन्य अपचारी का खारिजा आदेश संलग्न कर दिया गया है, जो निश्चित रूप से एक लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होता है।)

15. उक्त सामाजिक अन्वेषण आख्या से स्पष्ट है कि किशोर अपचारी के पूर्व का कोई गलत तथ्य एवं गलत संगत संज्ञान में नहीं आने का कथन किया गया है, सामाजिक अन्वेषण आख्या में अपचारी के किसी ज्ञात अपराधी के संसर्ग/साहचर्य में होने अथवा किसी ज्ञात अपराधी के संसर्ग/साहचर्य में आने की आशंका होने का कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है और न ही विशिष्टतः उपरोक्त आख्या में इस तथ्य का उल्लेख है कि प्रश्नगत किशोर अपचारी अमुख–अमुख ज्ञात अपराधी के संसर्ग में आ सकता है, उपरोक्त विमर्श उपरान्त यह स्थापित होता है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर अपचारी के जमानत प्रा0 पत्र पर पारित आदेश दिनांकित 16–05–2026 में, जमानत प्रा0 पत्र के निरस्तीकरण हेतु जिन आधारों का उल्लेख किया गया है, वह मात्र अनुमान पर ही आधारित है, जो उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के अनुसार विधिसम्मत् नहीं है।

16. विदित हो कि किशोर अपचारी X को संरक्षण में लेने हेतु उसकी माता की ओर से जमानत प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है, किशोर अपचारी के किसी पारिवारिक सदस्य के किसी पूर्ववत् अपराध में संलिप्त होने का कोई तथ्य उक्त सामाजिक अन्वेषण आख्या में अंकित नहीं है, मात्र किशोर अपचारी X के भाई, पिता एवं चचेरा भाई का प्रश्नगत मामले में अभियुक्त होने से यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता कि किशोर अपचारी X के भाई, पिता व चचेरे भाई ज्ञात अपराधी की श्रेणी में आते हैं, जब तक कि उन्हें प्रश्नगत मामले में दोषसिद्ध न कर दिया जाये, सामाजिक अन्वेषण आख्या के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकालना विधिसम्मत् नहीं है कि जमानत पर छोड़े जाने से किशोर अपचारी के किसी ज्ञात अपराधी के संसर्ग/सहचर्य में आने की आशंका है, विधि सह–परिवीक्षा अधिकारी की आख्या से इस संबंध में प्रथम दृष्टया भी निष्कर्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता कि जमानत पर छोड़े जाने पर किशोर अपचारी X के नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति की आशंका है, किशोर अपचारी की आयु, सामाजिक अन्वेषण आख्या में अंकित तथ्य, किशोर अपचारी की सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध अवधि (8 माह 11 दिन), मृतक की मृत्यु तत्काल न होना, मामले में आरोप–पत्र प्रेषित हो जाना, विवेचना अब लम्बित न रहना, सह–अभियुक्तगण (वयस्क) की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना, इत्यादि समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष भी प्राप्त नहीं किया जा सकता कि जमानत पर छोड़े जाने पर न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा।

17. उपरोक्त सम्पूर्ण विमर्श उपरान्त यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत् नहीं है, उक्त के अतिरिक्त, पत्रावली पर उपलब्ध

प्रपत्रों, आख्याओं, विशेषतः परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण आख्या के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम 2015 की उपधारा 1 के परन्तुक में अंकित जमानत प्रा0 पत्र के निरस्त किये जा सकने वाले तीन आधारों में से कोई भी आधार प्रश्नगत बाल अपचारी X के संदर्भ में आकर्षित नहीं होता है, तद्नुसार आलोच्य आदेश विधिसम्मत् नहीं है एवं हस्तक्षेपित योग्य है, अतः प्रस्तुत आपराधिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत आपराधिक अपील सं0–93/2026 **स्वीकार** की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांकित 16–05–2026 **निरस्त** किया जाता है। किशोर अपचारी X की संरक्षिका माता/अपीलार्थिनी द्वारा रू0 50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू संबंधित बोर्ड की संतुष्टि तथा निम्न शर्तों की अण्डटेकिंग दाखिल करने पर किशोर अपचारी X {जिसका विवरण मु0 अ 0 सं0–225/2025, थाना रामनगर, जनपद वाराणसी के आरोप पत्र में 'आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण' के अंतर्गत क्रम सं0–01 पर अंकित है तथा जिसके आरोप–पत्र को किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित किया गया है} को उसकी संरक्षिका माता/अपीलार्थिनी के संरक्षण में अवमुक्त किया जाता है–

1. यह कि संरक्षिका/अपीलार्थिनी किशोर अपचारी X को किसी अपराधी के संसर्ग/साहचर्य में आने से रोकेगी।
2. यह कि संरक्षिका/अपीलार्थिनी किशोर अपचारी X को किसी भी प्रकार की नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति कारित कर सकने वाली परिस्थितियों से पृथक रखेगी।
3. यह कि संरक्षिका/अपीलार्थिनी किशोर अपचारी X के नैतिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विकास का पूर्ण ध्यान रखेगी।

आदेश की प्रति के साथ किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली प्रतिप्रेषित की जाये।

दिनांक 19–06–2026

(नितिन पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1585

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करने के उपरान्त उद्घोषित किया गया।

दिनांक 19–06–2026

(नितिन पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1585